इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 16-2-2018-बाईस-पी-II.— मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान होने पर उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 4 में,—

उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(4) नियम 4 के उप नियम (1) में विहित प्रक्रिया अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आंकलन करने के पश्चात् कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां, उन अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिन्होंने शासकीय स्कूल में कम से कम दो सौ दिन एवं न्यूनतम तीन या अधिक शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो। इन रिक्तियों में विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत नियम 6 के उप नियम (6) एवं (7) के अध्यधीन होगाः

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। "

2. नियम 6 में,—

(1) उप नियम (7) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) (क) कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां उन अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं दो सौ दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है :

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित पद नहीं भर पाने की स्थिति में शेष रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। "

(2) उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(9) **चयन का मापदण्ड—** शासकीय विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए, संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया तथा समस्त प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची की तैयारी की राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।"

3. नियम 8 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(1) कलक्टर, सरकार द्वारा जारी नियमों या निदेशों के अधीन किसी भी पात्र व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर, संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पंचायत को सलाह देगी तथा पंचायत ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेगी जो अनुसूची—दो में विहित न्यूनतम अर्हताएं रखता है तथा जिसने नियम 6 के उप नियम (5) में विहित अपेक्षित प्रतिशतता के साथ संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।"

4. (1) मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग के अनुदेश क्रमांक सी–3–8/2016/3–डी, दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार, अनुसूची–दो में, अनुक्रमांक–1, 2 एवं 3 में विद्यमान उच्चतम आयु सीमा से संबंधित कॉलम (4) के सामने निम्नलिखित अधिकतम आयु स्थापित की जाए, अर्थात् :–

क्रमांक	**आवेदक**	**मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा**	**मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा**
1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	(25+15) 40	25
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	(25+20) 45	25
3	पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/ निगम/ मंडल/ स्वशसी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	(25+20) 45	25
4	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)	(25+20) 45	25
5	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	(25+20) 45	25
6	निःशक्तजन आवेदक	(25+20) 45	25

(2) अनुसूची दो में, शीर्षक अर्हता के अधीन, खण्ड (11) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

" (11) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यनतम 200 दिन तथा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्य कर चुके है, अधिकतम आयु सीमा में नौ वर्षों तक के शिथिलीकरण के हकदार होंगे।"

5. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

No. F-16-2-2018-XXII-P -II.— The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 4,-

   After sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely :-

   "(4) After assessing the vacancies of Samvida Shala Shikshak as per the procedure prescribed in sub-rule (1) of rule 4, 25 percent vacancies of the total available vacancies

shall be reserved for those Atithi Shikshak who have worked in Government School for not less than two hundred days and in minimum three or more educational sessions. The percentage of reservation for different categories in these vacancies shall be subject to sub-rule (6) and (7) of rule 6:

Provided that in case the reserved posts of Atithi Shikshak are not filled up, then the remaining posts shall be filled up from other eligible candidates. ".

2. In rule 6,-

(1) In sub-rule (7), in clause (b), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely :-

"(iii) (a) "25 percent vacancies of the total available vacancies shall be reserved for Atithi Shikshak who have worked in Government School for minimum three educational sessions and two hundred days:

Provided that if 25 percent vacancies reserved for Athithi Shikshak remains vacant they shall be filled from other eligible candidates.".

(2) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(9) **Criterion of Selection.-** The procedure of employment of Samvida Shala Shikshak and preparation of merit list of the candidates belonging to all categories, including Guest Teachers in Government Schools shall be specified by executive order of the State Government.".

3. In rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Collector shall, under the rules or directions issued by the Government, advise the Panchayat for appointment on compassionate ground of any person eligible for employment on the post of "Samvida Shala Shikshak" and the Panchayat shall employ such person, who possess minimum qualifications prescribed in Schedule-II and has passed the Samvida Shala Shikshak eligibility examination with requisite percentage prescribed in sub-rule (5) of rule 6.".

4. (1) As per the General Administration Department's Circular No. C-3-8/2016/3-,d dated 12th May, 2017, in Schedule-II, in column (4) against serial numbers 1, 2 and 3 for the existing maximum age limit, the following maximum age shall be substituted, namely :-

S.No.	**Applicant**	**Maximum age limit for permanent resident of Madhya Pradesh**	**Maximum age limit for the candidates belonging to out of Madhya Pradesh**
1.	"Male Applicant (Unreserved)	(25+15) 40	25
2.	Female Applicant (Unreserved)	(25+20) 45	25
3.	Male /Female Applicant (Government/Nigam/Mandal/ Employee of autonomous institution and Nagar sainik)	(25+20) 45	25
4.	Male/Female Applicant (Reserved category-Schedule cast/ Schedule tribe / Other Backward)	(25+20) 45	25
5.	Male/Female Applicant (Reserved category-Government/ Nigam /Mandal/Employee of autonomous institution and Nagar sainik)	(25+20) 45	25
6.	Disabled Applicant	(25+20) 45	25

(2) In Schedule-II, under the heading Qualification, for clause (11), the following clause shall be substituted, namely :-

"(11) The candidates who have worked as " Atithi Shikshak" in Government School for minimum two hundred days and minimum three educational sessions shall be entitled upto nine years relaxation in maximum age limit.".

5. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.